



सी.एस.आई.आर- हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर

कृषिपौद्योगिकी विभाग



आवेदन हेतु आमंत्रण: किसानों के लिए रेफर वैन की उपलब्धता।

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और किसानों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए सीएसआईआर फ्लॉरिकल्चर मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, रेफर वैन की उपलब्धता के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह योजना "पहले आए, पहले पाए" अनुबंध आधारित होगी। इस आवेदन प्रक्रिया को सरलतम किए जाने हेतु रेफर वैन के लिए एक मसौदा समझौता ज्ञापन तैयार किया है जिस पर सेवाओं का लाभ उठाने से पहले दोनों पक्षों (सीएसआईआर-आईएचबीटी और किसान सहकारी समितियों/एफपीओ/सोसाइटियों) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं। यह ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन सीएसआईआर फ्लॉरिकल्चर मिशन से जुड़ी किसान सहकारी समितियों/एफपीओ/सोसाइटियों से दिनांक 13/09/2023 को उचित विचार विमर्श करने के पश्चात बनाया गया है, अतः मसौदा समझौता ज्ञापन के अनुसार रेफर वैन की उपलब्धता की जाएगी। समझौता ज्ञापन केवल उन किसान सहकारी समितियों/एफपीओ/सोसाइटियों के साथ साझा किया जाएगा जो की प्रारंभिक जाँच में सही पाये जाएँगे। केवल उन किसान सहकारी समितियों/एफपीओ/सोसाइटियों को यह सुविधा दी जाएगी जो की संबंधित पुष्प कृषि में कम से कम 2 हे. में खेती करते हैं। यह व्यवस्था केवल भारत के 5 राज्यों, जो की सीएसआईआर फ्लॉरिकल्चर मिशन से जुड़े किसान सहकारी समितियों/एफपीओ/सोसाइटियों के लिए है जिसमें लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश शामिल है।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य किसानों को अपनी उपज को दूर और पास के बाजारों तक कुशलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, जिससे फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और उनकी आय में सुधार किया जा सके।

पात्रता मापदंड:

1. आवेदक एक पंजीकृत फूलों की खेती में लगी सहकारी समिति होना चाहिए।
2. बाजार के बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. आवेदकों को रेफर वैन की आवश्यकता और फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने पर संभावित प्रभाव का प्रदर्शन करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक किसानों या संगठनों को निम्नलिखित को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- i.) आवेदक (व्यक्तिगत या सहकारी समिति) की पृष्ठभूमि की जानकारी।
- ii.) रेफर वैन की आवश्यकता का औचित्य।
- iii.) रेफर वैन की प्रस्तावित उपयोग योजना।
- iv.) फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने पर अपेक्षित प्रभाव।

v.) कोई अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी.

प्रस्तुत करने की समय सीमा:

आवेदन, वर्ष 2024-25 के दौरान कभी भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परंतु उचित फ़सल कटाई व ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सही दिनांकों का चयन किया जायेगा।

संपर्क जानकारी:

पूछताछ और आवेदन जमा करने के लिए कृपया संस्थान की e-mail id director@ihbt.res.in व bdmu@ihbt.res.in का प्रयोग करें।

ध्यान दें: चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी होगी, और केवल सफल आवेदकों को सूचित किया जाएगा तथा कमिटी द्वारा निर्देशानुसार उचित किसान किसान सहकारी समितियों/एफपीओ/सोसाइटियों को सूचित किया जायेगा।